Ministry Panchayati Raj

The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) is responsible for the work of advocacy, monitoring and implementation of Constitution 73rd Amendment. The role of the MoPR involves strengthening the administrative infrastructure, basic services etc. by leveraging technology and capacity building of the functionaries of Rural Local Body (RLB). Ministry's roadmap to realise the above objective is through three pillars:

- Provision of basic services through the Finance Commission Funding,
- Capacity building of RLBs through Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA) and
- Convergent & holistic planning through inclusive & participatory process through Gram Panchayat Development Plan (GPDP) and advocacy work

Summary on Major achievements, significant developments and important events of MoPR for the month of August, 2019

1. The Ministry of Panchayati Raj (MoPR) has been mandated to recommend release of Fourteenth Finance Commission (FFC) grants to rural local bodies, as per decision taken by Ministry of Finance (MoF). Accordingly, during the month, MoPR has recommended to MoF for release of 1st instalment of Basic Grant of Rs.541.16 crore to Assam and Rs.272.413 crore to Jammu & Kashmir for FY 2018-19 and 1st instalment of Basic Grant of Rs.2837.35 crore to Bihar for FY 2019-20 and 2nd instalment of Basic Grant of Rs.524.265 crore to Haryana, Rs.1252.274 crore to Karnataka, Rs.1840.505 crore to Rajasthan and Rs. 45.315 crore to Tripura for FY 2019-20. The Ministry has also recommended to MoF for release of Performance Grant of Rs.132.16 crore to Chhattisgarh, Rs.5.19 crore to Manipur, Rs.343.58 crore to Rajasthan and Rs.97.87 crore to Haryana for FY 2018-19.

2. During the month, MoF released Performance Grant of Rs.120.20 crore to Assam, Rs.2.97 crore to Goa, Rs.79.58 crore to Kerala, Rs.296.64 crore to Madhya Pradesh, Rs.196.40 crore to Odisha, Rs.119.28 crore to Telangana and Rs.21.58 crore to Uttarakhand for FY 2017-18.

3. During the month, 8th meeting of FFC Coordination Committee for providing Guidance and Support to the State Government and Local Bodies on implementation of recommendations of FFC was held to discuss various issues related to FFC Grant to the Gram Panchayats.

4. The impact evaluation study on FFC Grant is being carried out in 16 States by Institute of Economic Growth (IEG), New Delhi. A presentation was made on their interim findings on completion of visit to 8 States by IEG in the Coordination Committee meeting.

5. An advisory has been issued towards utilization of FFC Grant by the Gram Panchayats to 26 FFC states regarding Flood Control/Relief Measures.

6. The total allocation and release of Basic Grant and Performance Grant under the FFC award so far is detailed below: (as on 31.08.2019)

(Rs. in crore)

Sl. No.	Year	Basic Grant		Performance Grant	
		Allocation	Release	Allocation	Release
1.	2015-16	21624.46	21510.46	--	--
2.	2016-17	29942.87	29412.95	3927.65	3499.45
3.	2017-18	34596.26	33575.12	4444.71	1943.55
4.	2018-19	40021.63	35359.38	5047.53	--
5.	2019-20	54077.80	19166.41	6609.33	--
	Total	**180263.02**	**139024.32**	**20029.22**	**5443.00**

*****

□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) संविधान के 73 वें संशोधन के संबंध में परामर्श, निगरानी और क्रियान्वयन कार्यों के लिए जिम्मेदार है । पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका ग्रामीण स्थानीय निकाय (आरएलबी) के पदाधिकारियों की प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर प्रशासनिक आधारभूत संरचना, बुनियादी सेवाओं आदि को मजबूत करना है। उपरोक्त उद्देश्य को पूरा के लिए मंत्रालय के रोडमैप के तीन स्तंभ हैं :

- वित्त आयोग के वित्त पोषण के माध्यम से बुनियादी सेवाओं का प्रावधान,
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के माध्यम से आरएलबी का क्षमता निर्माण और
- ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) और परामर्शी कार्यों के माध्यम से समावेशी और भागीदारी प्रक्रिया द्वारा अभिसरित और समग्र योजना

□□□□□ **2019** □□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□, □□□□□□□□ **और** □□□□□ □□ □□□□□□

1. वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को ग्रामीण स्थानीय निकायों को चौदहवें वित्त आयोग (एफएफसी) अनुदान जारी करने की सिफारिश करनी है। तदनुसार, माह के दौरान, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए असम को 541.16 करोड़ रुपये और जम्मू एवं कश्मीर के लिए 272.413 करोड़ रुपये के मूल अनुदान की पहली किस्त और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बिहार को 2837.35 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की पहली किस्त और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए हरियाणा को 524.265 करोड़ रूपये , कर्नाटक को 1525.274 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1840.505 करोड़ रुपये और त्रिपुरा को 45.315 करोड़ रुपये के मूल अनुदान की दूसरी किस्त जारी करने के लिए सिफारिश की है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वित्त मंत्रालय से छत्तीसगढ़ को 132.16 करोड़ रुपये, मणिपुर को 5.19 करोड़ रुपये, राजस्थान को 343.58 करोड़ रुपये और हरियाणा को 97.87 करोड़ रुपये के कार्य निष्पादन अनुदान को जारी करने की भी सिफारिश की है।

2. इस महीने के दौरान, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए असम को 120.20 करोड़ रुपये, गोवा को 2.97 करोड़ रुपये, केरल को 79.58 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 296.64 करोड़ रुपये, ओडिशा को 196.40 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 119.28 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 21.58 करोड़ रुपये का कार्य निष्पादन अनुदान (पीजी) जारी किया।

3. महीने के दौरान, ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले एफएफसी अनुदान से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एफएफसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर राज्य सरकार और स्थानीय

निकायों का मार्गदर्शन करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एफएफसी समन्वय समिति की 8 वीं बैठक आयोजित की गई थी।

4. आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी), नई दिल्ली द्वारा 16 राज्यों में एफएफसी अनुदान के संबंध में प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया जा रहा है। समन्वय समिति की बैठक में आईईजी द्वारा 8 राज्यों की यात्रा के पूरा होने पर अपने अंतरिम निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति दी गई थी।

5. बाढ़ नियंत्रण / राहत उपायों के संबंध में 26 एफएफसी राज्यों को ग्राम पंचायतों द्वारा एफएफसी अनुदानों के उपयोग किए जाने संबंधी एक परामर्शिका जारी की गई है।

6. एफएफसी अवार्ड के तहत अब तक मूल अनुदान (बेसिक ग्रांट) और कार्य निष्पादन अनुदान (परफॉरमेंस ग्रांट) का कुल आवंटन और रिलीज का विवरण नीचे दिया गया है: (31.08.2019 की स्थितिनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	वर्ष	मूल अनुदान		कार्य निष्पादन अनुदान	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1.	2015-16	21624.46	21510.46	--	--
2.	2016-17	29942.87	29412.95	3927.65	3499.45
3.	2017-18	34596.26	33575.12	4444.71	1943.55
4.	2018-19	40021.63	35359.38	5047.53	--
5.	2019-20	54077.80	19166.41	6609.33	--
	कुल	**180263.02**	**139024.32**	**20029.22**	**5443.00**

पंचायती राज मंत्रालय

जुलाई, 2019 का मासिक सारांश

1. महीने के दौरान, चौदहवें वित्त आयेाग (एफएफसी) अनुदान के तहत, पंचायती राज मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए असम को मूल अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में 467.80 करोड़ रुपये, जम्मू एवं कश्मीर हेतु 235.48 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए झारखंड को मूल अनुदान की पहली किस्त के रूप में 816.29 करोड़ रूपये, हरियाणा को 524.26 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2029.77 करोड़ रुपये, सिक्किम को 20.04 करोड़ रूपये और तेलंगाना को 725.65 करोड़ रुपये जारी करने की सिफारिश की है ।

2. एफएफसी के तहत इस महीने के दौरान वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए असम को 467.80 करोड़ रुपये और जम्मू एवं कश्मीर को 235.486 करोड़ रुपये की मूल अनुदान की दूसरी किश्त और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए झारखंड को 816.295 करोड़ रुपये, हरियाणा को 524.265 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2029.775 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1840.505 करोड़ रुपये, सिक्किम को 20.045 करोड़ रुपये, तेलंगाना को 725.65 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 1851.625 करोड़ रुपये मूल अनुदान की पहली किस्त जारी की है।

3. वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान एफएफसी के तहत मूल अनुदान की कुल निर्मुक्ति निम्नवत है :

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	आवंटन	जारी
1.	2015-16	21624.46	21510.46
2.	2016-17	29942.87	29412.95
3.	2017-18	34596.26	33575.12
4.	2018-19	40021.63	35359.38
5.	2019-20	54077.80	19166.41
	कुल	**180263.02**	**139024.32**

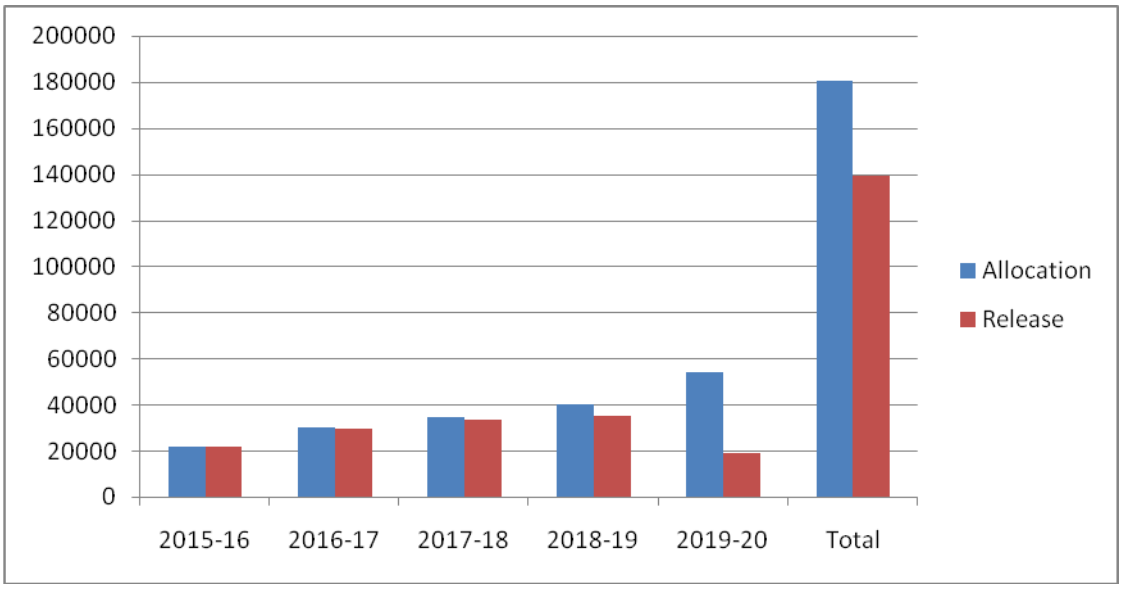

4. वर्ष 2016-17 के लिए एफएफसी के तहत 3,927.65 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में कार्य निष्पादन अनुदान 3,499.45 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 के लिए 4444.71 करोड़ रूपये के आवंटन की तुलना में 1,106.90 करोड़ रुपये जारी किए गए।

5. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना के तहत सीईसी द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 19.36 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

6. पिछले साल जन योजना अभियान में शामिल ग्राम सभा और अन्य हितधारकों के प्रदर्शन और उत्साहजनक कार्य निष्पादन से प्रेरित और जीपीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया को एक सहभागितापूर्ण और पारदर्शी अभ्यास में बदलने के लिए, पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी पंचायतों को समर्पित विषय पर 2 अक्टूबर से अभियान चलाने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए पंचायतों को अंतरित 29 विषयों से संबंधित 18 मंत्रालयों के प्रतिनिधियों की एक बैठक सचिव, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संपन्न की गई।

7. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को उपलब्ध वित्त के प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक उपाय के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को अपनाने के लिए राज्यों का शिद्धत से अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में, मंत्रालय वित्त वर्ष 2017-18 के लिए, ग्राम पंचायत/ विक्रेता पंजीकरण के लिए प्रियासॉफ्ट पर खाता बंद करने और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों की खरीद के लिए राज्यों को प्रेरित कर रहा है।

वर्ष 2017-18 के लिए 94% ग्राम पंचायतों ने अपने खाते की बही-खाते बंद कर दी हैं। लगभग 1,70,666 ग्राम पंचायतें (67%) डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) खरीद चुके हैं। इसके अलावा, राज्यों ने वर्ष 2018-19 के लिए खाता बही को भी बंद करना शुरू कर दिया है। राज्यों ने 2018-19 के लिए दैनिक और मासिक खाता-बही भी बंद करना शुरू कर दिया हैं। लगभग 66% ग्राम पंचायतों ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दैनिक और मासिक खाता-बही और लगभग 64% ग्राम पंचायतों ने अपनी वार्षिक खाता-बही बंद कर दी है।

8. आगामी 100 दिनों की कार्य योजना के एक भाग के रूप में "प्रियासॉफ्ट- पीएफएमएस पर 1 लाख ग्राम पंचायतों को ऑन-बोर्डिंग" करने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इस संबंध में, 47,692 ग्राम पंचायतों में प्रियासॉफ्ट- पीएफएमएस इंटरफ़ेस ऑन-बोर्ड किया गया है।

9. ग्राम पंचायत स्पेशियल (स्थानिक) प्लानिंग एप्लीकेशन की समीक्षा के लिए अतिरिक्त सचिव, एमओपीआर की अध्यक्षता में 15 जुलाई, 2019 को एक बैठक आयोजित की गई थी। प्रस्तावित "ग्राम पंचायत एटलस" पर एक प्रदर्शन किया गया था। यह परिकल्पना की गई है कि अनुप्रयोग यथार्थवादी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली के रूप में कार्य करेगा और भौगोलिक डेटा के उपयोग के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर नियोजन करने की सुविधा प्रदान करेगा।

10. स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) अनुप्रयोग और अन्य मंत्रालयों और संबंधित विभागों के ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के साथ इसके आगे के उपयोग के लिए जनगणना 2021 डेटा के मानचित्रण के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को संवेदीकृत करने हेतु एक परामर्शिका को जुलाई में भेजी गयी है ताकि वे सीमा के भीतर गणना ब्लॉक (ईबी) के गठन पर विचार कर सकें।

11. जल शक्ति अभियान (जेएसए) के एक हिस्से के रूप में, पंचायती राज मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपने संबंधित विभागों को ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों में एलजीडी कोड की मैपिंग के लिए सूचित किया है।

*****